न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 77/2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री आनन्द स्वरूप शर्मा अधिवक्ता, निवासी बी–132, आर0के0कॉलोनी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

——अपीलार्थी ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 29/09/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के विरूद्ध दिनांक 16. 08.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 22/06/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40 एफ 677071 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,गंगापुर से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22/06/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 29/08/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर से प्रत्युत्तर चाहा गया। अपीलार्थी दिनांक 25.09.2017 उपस्थित हुआ जिसके द्वारा सूचना मिलने का निवेदन किया परन्तु वह अपूर्ण होने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने अपने पत्रांक 1108 दिनांक 12.09.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन दिनांक 22.06.2017 को प्रस्तुत किया जिसमें चाही गई सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने से अपील खारिज फरमाई जावे। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने दिनांक 25.09.2017 को उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलान्ट को जो नकलें उपलब्ध कराई है उसमें पुलिस विभाग के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई है वह मुझे निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 22.06.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलार्थी के द्वारा आवेदन में अंकित सूचना अपूर्ण होने व शेष नकलें निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने वक्त सुनवाई निवेदन किया कि अपीलार्थी को नकलें उपलब्ध करादी गई है फिर भी अपीलार्थी द्वारा नकलें अपूर्ण होना बताया इस सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलार्थी को जो भी प्रकरण से सम्बन्धित नकलें कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध होगी उपलब्ध कराए जाने का समय प्रदान कराने हेतु निवेदन किया।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में निर्णय दिनांक से 15 दिवस में अपीलान्ट को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करा पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। इसी आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 29/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा